

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 137/2022

तारीख दायर :-04.03.2022

दिनांक निर्णय :-15.03.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

सोहनपाल पुत्र बुद्धालाल जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि गैरसायल सोहनपाल पुत्र बुद्धालाल जाति मीना निवासी भजेड़ा ने ग्राम भजेड़ा की राजकीय चारागाह भूमि के ख0न0 167 रकबा 0.43हे0 पर फसल रबी सम्वत् 2078 में सरसों की फसल काश्तकर अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किये गये। गैरसायल की ओर से सोहनपाल उपस्थित आया। गैरसायल की ओर से नोटिस का कोई जवाब व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। गैरसायल के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर बेदखली के आदेश पारित किये गये। साथ ही सरह लगान के 4.68 रु की 50 गुणा राशि 234/-रु पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते हैं कि फसल को कब्जेराज लेकर, फर्दनिलामी वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 15.03.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बाबूलाल मीना)

तहसीलदार-राजगढ़
तहसीलदार
जिला अलवर
राजगढ़ (अलवर)

स. ले. स. 4 वर्ष 2021-22

संख्या 29 पत्र च. व. 234/-

राज. कायम किये गये।

पिबूठ
त. रा. लेखाकार